

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर बालोद वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत सोरली-डौंडीलोहारा-दल्लीराजहरा-गोटाटोला-दल्लीराजहरा-बालोददल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी -चारामा, कोरर-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव एवं दल्लीराजहरा के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	2.895 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		बालोद	बालोद	सोरली-डौंडीलोहारा-दल्लीराजहरा-गोटाटोला-दल्लीराजहरा-बालोद दल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी -चारामा, कोरर-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव एवं दल्लीराजहरा
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण (आरक्षित वनभूमि)			
क. वनभूमि	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
	लोहारा	संजारी	201	0.050
		रायगढ़	191	0.048
			192	0.019
			193	0.053
		भेजरापठार	194	0.143
	दल्ली	गुरामी	173	0.034
		झिकाटोला	180	0.022
		हितकसा	170	0.063
		बोरिद	92	0.065
		दर्ईहान	96	0.138
		रानीतराई	99	0.125
	दल्ली	गोटूलमुण्डा	144	0.035
	गुरुर	जगतरा	3	0.292
		नाईकुरा	16	0.060
		कराझर	20	0.248
		मुजालगोदी	19	0.033
	दल्ली	आमाबहरा	77	0.031
			79	0.084
			56	0.036
			82	0.095
		सिंघोला	83	0.081
		पुत्तरवाही	85	0.08
			86	0.180
			118	0.009
			110	0.063
			122	0.121

			चिहारो	123	0.062
				124	0.060
			शेरपार	164	0.035
			अंगारा	163	0.049
		लोहारा	जाटाडाह	172	0.046
				176	0.005
			बकाली टोला	177	0.022
		योग :-			2.487
		संरक्षित वनभूमि (हे० में)			
		लोहारा	माटरी	P 307	0.021
		बालोद	बोरिद	P257	0.035
		बालोद	मालगांव	P251	0.052
		डौण्डी	धोरीठेमा	P267	0.082
		दल्ली	आमाडुला	P263	0.044
		दल्ली	गिधाली	P291	0.010
		योग :-			0.244
		राजस्व वनभूमि (हे०में)			
	ख. राजस्व वनभूमि	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		डौण्डीलोहारा	पडवापथरा	562	0.002
				553	0.004
			गुरामी	43/403	0.007
			बिटाल	184	0.055
			हितकसा	143	0.004
		डौण्डी	गोटूलमुण्डा	82/1	0.019
			मलकुंवार	68/1	0.004
			नर्राटोला	263/1	0.003
			खैरवाही	411/1	0.005
			ऑराटोला	348	0.013
			अवारी	74/1	0.025
		डौण्डीलोहारा	सिवनी	198/1	0.007
				10	0.003
				338	0.003
				607	0.006
				617	0.001
			जाटाडाह	57	0.002
		डौण्डी	गिधाली	117	0.001
		कुल राजस्व वनभूमि (हे०में)			0.164
		राजस्व वनभूमि			0.164
		आरक्षित वनभूमि			2.487
		संरक्षित वनभूमि			0.244
		कुल वनभूमि योग :-			2.895 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार		पर्याप्त		

7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है । वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	आवश्यकता नहीं है।
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं

11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है ।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	निरंक

प्रमाण - प्रत्र

उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में सोरली-डौंडीलोहारा, दल्लीराजहरा-गोटाटोला, दल्लीराजहरा-बालोद, दल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी-चारामा, कोरस-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव एवं दल्लीराजहरा प्रस्तावित (R.O.W.) को आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे (R.O.W.) के अंतर्गत मार्ग के किनारे - किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र में तथा वनभूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं 1 मीटर चौड़ा से अधिक का प्रावधान नहीं है। एवं खन्ती से निकाली गई मिट्टी से समतलीकरण आवेदक के द्वारा किया जावेगा। तथा वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन तथा प्रभावित वनभूमि पर किसी भी वृक्षों का कटाई का प्रावधान नहीं है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुरूप अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल:- बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत (R.O.W.) के सोरली-डौंडीलोहारा, दल्लीराजहरा-गोटाटोला, दल्लीराजहरा-बालोद, दल्लीराजहरा-भानुप्रतापपुर, धमतरी-चारामा, कोरस-मालगांव, अंगारा-भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव एवं दल्लीराजहरा जिला - बालोद

दिनांक: -

01.04.2022

आयुष जैन
वनमण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल, बालोद
जिला - बालोद, (छत्तीसगढ़).